—: आदेश :—

उपरोक्त प्रार्थीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
पोगड़ी	37	तुलसीराम पुत्र तड़मन जाति जाट शेष खाता अपरिवर्तित रहेगा	538	0.08	तुलसीराम पुत्र तड़मन राम जाति जाट शेष खाता अपरिवर्तित रहेगा	538	0.08

क्रमांक :— 406

प्रतिलिपि पालनार्थ :— 21.X.21

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :—

1. उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :—

प्रतिलिपि पालनार्थ :—

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :—

1. पटवार हल्का पोगड़ी को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर